बनवारी लाल की मृत्यु के वर्ष और वैध नहीं हैं।इस तर्क का फिर से कोई महत्व नहीं है।जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कानूनी रूप से आवश्यकता नहीं है और दूसरा, भले ही यह इस तरह से आवश्यक था, डिक्री धारकों ने दूसरा निष्पादन आवेदन दायर करने से पहले इसे प्राप्त किया था।उन कार्यवाहियों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का विरोध किया जा सकता था जब नोटिस प्रकाशित किया गया था।वर्तमान निष्पादन कार्यवाही में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(6) जब 24 अगस्त, 1982 को पहला निष्पादन आवेदन दायर किया गया था, तो वर्तमान याचिकाकर्ता डिक्री धारक होने के नाते डिक्री को निष्पादित करने के हकदार थे।भले ही यह इस आधार पर असंतुष्ट था कि उन्होंने अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 2 जनवरी, 1984 को दूसरा निष्पादन आवेदन दायर किया।भारतीय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के तहत, डिक्री को लागू करने के लिए 12 साल की अवधि का प्रावधान किया गया है।वर्तमान आवेदन 12 वर्षों के भीतर था।अन्यथा निष्पादन के लिए वर्तमान आवेदन पिछले निष्पादन आवेदन के निपटारे के 3 साल के भीतर दायर किया गया था।चूंकि डिक्री धारकों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं था, इसलिए वर्तमान आवेदन को कानून के अनुसार आगे बढ़ना था।

(7) ऊपर बताए गए कारणों से।इस पुनरीक्षण याचिका की अनुमति है।निष्पादन न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।पक्षकारों को अपने वकील द्वारा से 30 सितंबर, 1991 को निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

आरएनआर

माननीय ए. *एल.* बहरी *और वी. के. बाली, जे. जे.* के सामने

शमशेर कौर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य।-उत्तरदाता।

1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 1608

27 मई। 1992 में।

भारत का *संविधान।1950—अनुच्छेद* 226- *पंजाब* सिविल *सेवा नियम खंड। टी, आरआरआई। 3.* 6 (घ) *और खण्ड. II. आरएल, 53-(सी)* समयपूर्व सेवानिवृत्ति-गोपनीय *सूची में असामान्य* प्रतिकूल *टिप्पणियों को वह समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश देते समय ध्यान में रख सकता है।*

सरकारी कर्मचारी-समग्र रिकॉर्ड *को देखा जाना चाहिए-शिक्षक-औसत से कम, असंगत और जिद्दी-समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश उचित है।*

अभिनिर्धारित किया कि, याचिकाकर्ता के पास केवल दो अच्छी रिपोर्टें थीं जबकि अन्य सभी रिपोर्ट या तो औसत या औसत से कम थीं।यह सच है कि सभी औसत रिपोर्टों को उसे सूचित नहीं किया गया है, यह समग्र रिकॉर्ड है जिसे यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं।अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है और इसका मतलब कोई कलंक नहीं है।इसे सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।श्री बैकुंठ *नाथ दास और एक अन्य बनाम* मुख्य *जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक अन्य*, जे. टी. 1992 (2) एस. सी., I, मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह अभिनिर्धारित किया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल यह दर्शाते हुए कि इसे पारित करते समय असंबद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था, न्यायालय द्वारा रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और परिस्थिति स्वयं हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकती है।

(पैरा 51)

आर. के. मलिक, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता की ओर से।*

प्रतिवादी के लिए डी. आर. *त्रिखा, डी. ए. जी. हरियाणा।*

आदेश

वी. *के. बाली, जे.* (मौखिक)

(1) पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-II *के* नियम 5.32 (सी) और पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-I, हरियाणा सरकार के नियम 3.26 (डी) को लागू करने वाले आदेश संलग्नक पी-1 से पीड़ित याचिकाकर्ता ने जनहित में पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति का आदेश देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है।

(2) पक्षों की दलीलों से निकाले गए तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता 19 अक्टूबर, 1977 को शिक्षा विभाग में शामिल हुआ था।वह प्रासंगिक समय में वनस्पति विज्ञान में व्याख्याता थीं, जो सरकारी महाविद्यालय (महिला), रोहतक में तैनात थीं, और 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी थीं जब उन्हें पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति संलग्नक पी-1 का आदेश प्राप्त हुआ जैसा कि 26 सितंबर, 1991 को ऊपर वर्णित किया गया है।यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अपने पूरे सेवा जीवन में उन्होंने उत्कृष्ट परिणाम दिखाए थे जो शिक्षक के रूप में उनकी योग्यता का प्रदर्शन करते थे।इसके अलावा, उनके पास कई शोध लेख थे।उनका एक लेख "पौधों के विभिन्न रासायनिक घटकों का सरल कोरलेशन" वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की पत्रिका में और एक अन्य पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

“एक नई शिक्षण तकनीक या चारा मूल्यांकन वर्ष 1983 में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका यानी एक्ट बोटानिका इंडिया में फिर से प्रकाशित किया गया था।वह एक उत्कृष्ट सेवा कैरियर होने का भी दावा करती है और पिछले आठ वर्षों के दौरान उसे कोई प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट नहीं दी गई थी।हालाँकि, पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति के आदेश से तुरंत पहले आठ साल पहले उन्हें दो प्रतिकूल रिपोर्टों से अवगत कराया गया था।उसी की टिप्पणियों का पता नहीं था।दावों पर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी-राज्य द्वारा श्री आर. डी. श्योकंद, हरियाणा सरकार में शिक्षा उप सचिव, के द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है। प्रारंभिक आपत्ति के रूप में यह अनुरोध किया जाता है कि सिविल सेवा नियम, खंड I के नियम 3.26 (ए) के उप-खंड (डी) के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकरण को आत्यन्तिक अधिकार है यदि उसकी राय है कि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करना सार्वजनिक हित में है, तो ऐसा कर्मचारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या तीन महीने का वेतन देकर किया जा सकता है।यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के मामले की

समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त नियम के प्रावधानों और दिनांक 19 नवंबर, 1991 के पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार की गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने 50 वर्ष की आयु में जनहित के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया था।भले ही शोध लेखों के संबंध में लिखित बयान में कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया है, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने लिखा है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है और याचिकाकर्ता के परिणामों पर अधिक टिप्पणी किए बिना, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है, प्रतिवादी ने, हालांकि, इस दावे का तीखा विरोध किया हैःयाचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले आठ वर्षों का उनका सेवा रिकॉर्ड बिना किसी दोष के रहा है या उन्हें उक्त अवधि के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई थी! यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादी की वार्षिक-गोपनीय रिपोर्ट में वर्षों 1981-82,1984-85 और 1987-88 के लिए दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को व्यक्त किया गया था और उक्त टिप्पणियों में से कुछ ने ईमानदारी के संबंध में भी प्रतिकूल बात की थी। नीचे दिए गए चार्ट से पता चलेगा कि उत्तरदाताओं का उपरोक्त तर्क काफी हद तक सही है

वर्ष	प्रतिकूल टिप्पणियां व्यक्त की गईं
1981-1982	समय की पाबंदी: घटिया अखंडता : प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है

वर्ष	प्रतिकूल टिप्पणियां व्यक्त की गईं
(मेमो के माध्यम से किया गया संख्या. सी. आई. (3) दिनांक 17-2-83	मुखिया के साथ & अन्य शिक्षक संस्थान। खराब। अन्य अधिकारियों के साथ संबंधः घटिया । त्रुटि, यदि कोई हो तोः वह जिद्दी है शिर्क कर्तव्य वी है। झगड़ालू। कुल मिलाकरः औसत से नीचे कुल मिलाकर दोहराए जाने के बावजूद

मल्यांकन: (मेमो के माध्यम से प्रेषित किया गया सं. 2/78-85 Cl (3) दिनांक 10-4-		अनस्मारक जो उसने हस्ताक्षर परिणाम का भाग - बंदरगाह और इसे वापस कर लिखने के ऊपर।कॉलेज रिकॉर्ड के अनुसार बी. एससी. में उनका परिणाम। II व्यावहारिक बराबर है।लेकिन बी. एससी. का परिणाम 11 (सिद्धांत) महाविद्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार
	प्रधानाचार्य और सहकर्मी के साथ संबंध ।	औसत लेकिन सहकर्मियों के साथ झगड़ना ।
198 -88		
(मेमो के माध्यम से प्रेषित किया गया संख्या. 24/10-89 CI (3) तिथि 7/8- 90	प्रधानाचार्य और सहकर्मी के साथ कुल मिलाकर	अच्छा नहीं है, वह नहीं है किसी से भी सहयोग करें। औसत

(3) याचिकाकर्ता को उपरोक्त तरीके से व्यक्त की गई निश्चित प्रतिकूल टिप्पणियों के अलावा, प्रतिवादी का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के सभी रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं थे, क्योंकि पिछले दस वर्षों में उसने केवल दो ऐसी रिपोर्ट अर्जित की थीं जिन्हें "अच्छा" के रूप में वर्णित किया जा सकता था, जबकि अन्य सभी रिपोर्ट या तो औसत या औसत से कम थीं।वर्ष 1981-82 से 1990-91 तक याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार हैः—

वर्ष	श्रेणीकरण	परिणाम	समग्र मूल्यांकन
1981-82	बी (औसत से नीचे)	+10-5 + 3.7	ईमानदारी निशान तक नहीं (प्रतिकूल टिप्पणी

1982-83	+बी (अच्छा)	+- 2 10-39	
1983-84	बी (औसत)	+ 1.7 — 6.38 + 0.66	
1984-85	बी (औसत)	समान सत्यनिष्ठा औसत पर दो +12-54 (प्रतिकूल टिप्पणी व्यक्त की गई)	
1985-86	+बी (अच्छा)	+ 6-5 + 1	
1986-87	औसत	+ 1-8 बराबर + 1	
1987-88	औसत	+ 8.1 + 2.1	प्रतिकूल टिप्पणियां व्यक्त की गईं
1988-89	एन. ए. सी.	-जे ~ 3 * 8	
1989-90	एन. ए. सी.	+ 3.85	
1990-91	औसत	फाइव प्लस बराबरी पर दो	प्रधानाचार्य के साथ-साथ विशेष रूप से उनके विभाग के सहयोगियों के साथ असंगत।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि पिछले आठ वर्षों में याचिकाकर्ता को कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी और अब तक यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि ऐसी प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति जैसा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जो अधिकारी/अधिकारी को नहीं बताया गया था और जिसके

(5) खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों में कोई अभ्यावेदन दायर करने का कोई मौका या अवसर नहीं था।विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के परिणाम हमेशा उत्कृष्ट रहे हैं, उन्हें जनहित में सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त ब्याज केवल मृत लकड़ी को हटाने और ऐसे तत्व को काटने से प्राप्त किया जा सकता है जो विभाग पर बोझ हो सकता है और यह भी कि याचिकाकर्ता के सेवा कार्यकाल में बिना किसी उचित कारण के आठ साल तक की कटौती की गई है।याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य का वकील हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन करता है।

(6) हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख को पढ़ने के बाद हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को उचित रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई याचिकाओं में से कोई भी विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं है।यह उन प्रतिकूल टिप्पणियों के सारांश से देखा जाएगा जिन्हें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि उसकी ईमानदारी वर्ष 1981-82 के लिए सही नहीं थी।मुखिया और अन्य शिक्षकों के साथ-साथ अधिकारियों के साथ भी उनके संबंध खराब थे।उन्हें एक जिद्दी अधिकारी माना जाता था जो कर्तव्यों से भी बचती थी और झगड़ालू थी।उनकी समयबद्धता भी खराब थी।उनका औसत से कम होने का आकलन किया गया था।वर्ष 1984-85 के लिए उसके परिणामों पर भी खराब टिप्पणी की गई है, जिस पर याचिकाकर्ता का खुद को एक उत्कृष्ट शिक्षक होने का दावा करना मुख्य है।उसे एक ऐसा व्यक्ति बताया गया था जो सहकर्मियों के साथ-साथ प्रिंसिपल के साथ भी झगड़ा करेगा।इसी तरह, वर्ष 1987-88 के लिए, प्राचार्य और संघों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं बताए गए थे।वह किसी के साथ सहयोग भी नहीं करती थी।उनका समग्र मूल्यांकन औसत था।जैसा कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सारांश से स्पष्ट है कि उनके पास केवल दो अच्छी रिपोर्टें थीं जबकि अन्य सभी रिपोर्ट या तो औसत या औसत से कम थीं।यह सच है कि सभी औसत रिपोर्टों को उन्हें सूचित नहीं किया गया है, लेकिन यह समग्र रिकॉर्ड है जिसे यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं।अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है और इसका मतलब कोई कलंक नहीं है।इसे सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।श्री बैकुंठ नाथ दास और एक *अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और एक* अन्य (1), शीर्ष न्यायालय ने

अब यह अभिनिर्धारित किया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश किसी न्यायालय द्वारा केवल यह दर्शाते हुए रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि इसे पारित करते समय असंबद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था, और वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकती है जो केवल इस आधार पर अनुमेय *है जैसे* कि आदेश दुर्भावनापूर्ण रूप से पारित किया गया है या कोई सबूत नहीं है या यह इस अर्थ में मनमाना है कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा अर्थात यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है।केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता के पास कुछ प्रकाशन हैं, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने आप में आदेश संलग्नक पी-1 में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो स्पष्ट रूप से पिछले दस वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता के काम और आचरण के समग्र मूल्यांकन पर पारित किया गया है।इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम इसे सीमित रूप से खारिज करते हैं।लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी